राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1122/2024

इकबाल खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त संभागीय एवं उप सचिव–I ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविंदगढ अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति गोविंदगढ जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति गोविंदगढ़ जिला अलवर से किसी अन्य स्थान (अलवर) पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है और पंचायत समिति गोविंदगढ़ में पद रिक्त है। अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान पंचायत समिति गोविंदगढ़ है जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थान नहीं दर्शाया गया है। स्थानांतरण पंचायत समिति गोविंदगढ़ से किसी अन्य स्थान पर किया जाना चाहिए था और स्थानांतरण का आदेश धारा 89(8)(ii) का उल्लंघन करते हुए सीईओ, जिला परिषद अलवर द्वारा पारित किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी यही कानून निर्धारित किया गया था। जिला परिषद की स्थापना समिति, जिला परिशद और पंचायत समिति द्वारा एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में और पंचायत समिति के भीतर दोनों पंचायत समिति के प्रधानों की सहमति से स्थानान्तरण किया जा सकता है, जबक पंचायत समितियों के प्रधान ने अपीलार्थी को स्थानांतरित करने की सहमति नहीं दी है।

अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है तथा किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश द्वारा पंचायत समिति गोविंदगढ़ से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य रिट संख्या 544/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत बिना मस्तिश्क का उपयोग किए आक्षेपित आदेश जारी किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदे ा दिनांक 22.02.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पंचायत समिति गोविंदगढ जिला अलवर में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जारी दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति गोविंदगढ जिला अलवर से अन्यत्र स्थान (अलवर) पर किया गया है। अपीलार्थी कनिश्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति गोविंदगढ में जून 2022 से कार्यरत है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव–। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखा गया है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कनिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत् लिखा गया है न कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्देशित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेशित करते हुये जारी किया गया है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए अपील में कोई आलोच्य आदेश (Impugned Order) नहीं है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है। अतः अपील के कारण (Cause of action regarding appeal) का पूर्णतः अभाव है। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण अपील बिना किसी कारण के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो परिपक्व नहीं (Premature) होने के आधार पर अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य